अनुशंसाओं का सारांश

प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

1 राज्य सरकार के लेखों से स्पष्ट रूप से यह ज्ञात नहीं होता है कि राज्य के प्रथम वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस स्पष्ट जानकारी के अभाव में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का मूल्याकंन अगले राज्य वित्त आयोग और केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिये अलग से जो बजट पुस्तकें बनाई जा रही हैं, वे सम्बन्धित विभागों के विस्तृत बजट का संक्षिप्त रूप हैं और उनसे अलग बजट पुस्तक बनाने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यदि इन बजट पुस्तकों को उपयोगी बनाना है तो इनमें स्थानीय निकायों को समनुदेशित (सौंपा गया) राजस्व, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अन्तरण, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिये अनुदान, शासकीय विभागों द्वारा हस्तांतरित कोष आदि के रूप में दी गई राशि और उनमें व्यय की गई राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। **(कंडिका 3.21)**

छत्तीसगढ़ में पंचायती राज

2 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के वर्तमान क्षेत्राधिकारों का पुनरीक्षण करना चाहिये एवं उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित करने पर विचार करना चाहिये। **(कंडिका 5.5)**

पंचायत : कृत्यों का अन्तरण

3 क्षेत्रफल, जनसंख्या, संसाधन, कर्मचारी, सामर्थ्य तथा स्थानीय आवश्यकताओं में विभिन्नता के कारण अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों सहित सभी ग्राम पंचायतों को विभिन्न विभागों के कृत्यों के अन्तरण के लिये एक बराबर नहीं माना जाना चाहिए। उपरोक्त विविधताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों को कृत्यों के अंतरण संबंधी पुनरीक्षित प्रस्ताव बनाने के लिए एक समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए।

(कंडिका 6.8 और 6.10)

पंचायतों के वित्तीय संसाधन

4 प्रथम वित्त आयोग ने सम्पत्ति कर के लिये पूंजीगत मूल्य के बजाय वर्गीकृत कुर्सी (plinth) क्षेत्रफल को आधार बनाये जाने की जो अनुशंसा की थी, उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये। **(कंडिका 7.4)**

5 सम्पत्ति कर के दो घटक शीर्ष होने चाहिये। प्रथम भवनों पर कर और द्वितीय, खाली पड़ी गैर कृषि भूमि पर कर। भवनों पर कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर तथा गैर कृषि भूमि पर पूंजीगत मूल्य के आधार पर सम्पत्ति कर का आरोपण किया जाना चाहिये। **(कंडिका 7.4)**

6 पूंजीगत मूल्य को बदलकर वर्गीकृत कुर्सी क्षेत्रफल को सम्पत्ति कर मूल्यांकन का आधार बनाये जाने पर सभी कर योग्य भवनों के पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। प्रत्येक सम्पत्ति पर कर देयता निश्चित करने तथा ग्राम पंचायतों में एतद् सम्बन्धी मांग पंजी बनाने का काम कार्यरत आन्तरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारियों को उनके वर्तमान कर्त्तव्य के साथ सौंपा जाना चाहिये। ये वरिष्ठ आन्तरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकरियों के पर्यवेक्षण तथा सम्बन्धित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के नियंत्रण में उनके कार्य क्षेत्र के 25 अथवा इससे अधिक ग्राम पंचायतों में यह कार्य कर सकते हैं। यह कार्य एक वर्ष में पूरा करने के लिये पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को समुचित कार्य योजना बनानी चाहिए।

(कंडिका 7.4)

7 पंचायत अधिनियम में प्रावधानित अनिवार्य करों को आरोपित न करने और/अथवा ऐसे करों की वसूली नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों की जानकारी कनिष्ठ आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारियों को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। ऐसी ग्राम पंचायतों के विरूद्ध पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना चाहिये।

(कंडिका 7.4)

8 ऐसी समस्त निजी सम्पत्तियॉ, भूमि और भवन जिनका उपयोग शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये होता हैं तथा उसके लिये छात्रों से फीस ली जाती है, उन्हें सम्पति कर के दायरे में लाया जाना चाहिये। **(कंडिका 7.4 एवं 7.5)**

9 सम्पत्ति कर से छूट दिये जाने का आधार उस सम्पत्ति से होने वाली आय और उस आय के उपयोग की प्रकृति को बनाया जाये न कि इस बात को कि उस सम्पत्ति से किराया मिलता है

या नहीं। धार्मिक, शैक्षणिक या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाले भवनों को सम्पत्ति कर से छूट दिया जाना उस स्थिति में उचित और तर्क संगत है जबकि ऐसे भवनों से हो रही आय का उपयोग पूर्णतः ऐसे ही विशिष्ट प्रयोजनों के लिये हो रहा हो। ऐसे भवनों में छूट केवल सम्पत्ति कर के मामले में दी जानी चाहिये परन्तु प्रकाश कर सहित सेवा करों में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये। **(कंडिका 7.6)**

10 सम्पत्ति कर की बेहतर वसूली के लिये प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करना उचित होगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 75 % या उससे अधिक सम्पति कर की वसूली करने वाली ग्राम पंचायतों को वसूल की गई राशि का समतुल्य अनुदान दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार जो ग्राम पंचायत कम से कम 75 % बकाया सम्पत्ति कर की वसूली करती है, उसे भी सुनिश्चित दिशा निर्देशों के आधार पर समतुल्य अनुदान दिया जाना चाहिये। **(कंडिका 7.4)**

11 ग्राम पंचायतों के करों के सम्बन्ध में प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिये जो समिति गठित की गई थी, उसे अपना प्रतिवेदन एक निश्चित समय में प्रस्तुत करना चाहिये और इसके साथ पंचायत अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी यथा शीघ्र किया जाना चाहिये। **(कंडिका 7.4)**

12 निजी शौचालयों पर कर लगाया जाना आज के युग के अनुकूल नहीं है। इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। ग्रामीणों को इसके बदले स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन शौचालयों के निर्माण के लिये विभिन्न स्त्रोतों से कोष भी उपलब्ध है। **(कंडिका 7.5)**

13 बाजार शुल्क से और अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। अतः इसका और अधिक दोहन किया जाना चाहिये। बाजार शुल्क की दरें यर्थाथ रूप में निर्धारित की जानी चाहिये। पंचायतों के बाजार में बिकने वाली चीजों को और अधिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाये तथा इन श्रेणी के लिये अलग–अलग दरें निर्धारित की जायें। बाजार शुल्क एक ऐसा स्त्रोत है जिसकी उगाही के लिये अपने कर्मचारी लगाने के बजाय, वसूली का काम ठेके पर दे दिया जाना अधिक उपयुक्त होगा। **(कंडिका 7.8)**

14 पंचायतों के बाजार में पशुओं की बिक्री के पंजीयन की जो वर्तमान् न्यूनतम और अधिकतम दरें हैं वे लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। इन दरों को पुनरीक्षित किया जाना चाहिये। **(कंडिका 7.9)**

15 प्रथम राज्य वित्त आयोग ने सुझाव दिया था, सभी चलचित्र प्रदर्शनों पर कर लगाने और वसूलने का काम जनपद पंचायतों को तथा गैर चलचित्र प्रदर्शनों, खेल–तमाशों पर कर लगाने का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंप दिया जाये। एतत् सम्बन्धी अधिनियम और नियमों में आवश्यक संशोधन करके इस अनुशंसा को प्रभावशील किया जाना चाहिये। **(कंडिका 7.10)**

16 विभिन्न प्रकार की कृषि भूमि पर लगाया जा सकने योग्य एक सरल और पारदर्शी "स्थानीय विकास कर" वर्तमान भूमि विकास कर का बेहतर विकल्प हो सकता है। इस प्रयोजन के लिये सभी कृषि भूमि को सिंचित, अर्ध सिंचित और सूखी भूमि में वर्गीकृत कर दिया जाये तथा इनमें से प्रत्येक श्रेणी की ज़मीन के लिये प्रति एकड़ के हिसाब से एक न्यूनतम दर सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाये। **(कंडिका 7.18)**

17 ग्राम पंचायत के करों की दरें दशकों पूर्व निर्धारित की गई थीं। अब समय आ गया है, इन्हें पुनरीक्षित किया जाये। नियमों में न्यूनतम और अधिकतम दरों में वृद्धि की जानी चाहिये। **(कंडिका 7.31)**

18 वैकल्पिक करों/शुल्क लगाने के लिये ग्राम पंचायतों को जनपद पंचायतों से, और जनपद पंचायातों को जिला पंचायत से अनुमोदन लेने की पाबंदी नही होनी चाहिए। सम्बन्धित अधिनियम में यह प्रावधान समाप्त कर दिया जाना उपयुक्त होगा। **(कंडिका 7.31)**

19 ग्राम पंचायतों के पास जहॉ स्वयं की भूमि है, उसे पट्टे पर देकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार भूमि को पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक नियम बनाने चाहिए। इसके साथ ही ग्रामों में उपलब्ध पड़त भूमि जो निस्तार के उपयोग में नहीं आती हो उसे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसी भूमि ग्राम पंचायतों की आय का अच्छा स्त्रोत बन सकती है। **(कंडिका 7.31)**

20 पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सुझाव दिया है मछली पालन के उपयोग में आने वाले तालाबों के पट्टे की प्रारम्भिक राशि में वृद्धि की जाये तथा तालाबों की औसत उत्पादकता के आधार पर पट्टे की राशि में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जाये। यदि इन तालाबों की नीलामी की अनुमति दी जाये तो ये पंचायतों के लिये अधिक राजस्व के प्रमुख स्त्रोत हो सकते हैं। यदि यह सम्भव नहीं हो तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित्त पट्टे की राशि में वृद्धि किया जाना उचित होगा। **(कंडिका 7.31)**

21 इस बात का परीक्षण किया जाना उचित होगा कि क्या नगर पालिकाओं के समान ग्राम पंचायतों के अनिवार्य एवं वैकल्पिक करों की संख्या में कमी कर उनका युक्तियुक्तकरण किया

जा सकता है। प्रकाश कर, सामान्य जल प्रदाय कर, मल वाहन कर (सार्वजनिक शौचालयों तथा मल उठाव पर वैकल्पिक कर) को जोड़कर उन्हें एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर सम्पत्ति कर का भाग बनाया जा सकता है। इससे कर की मांग और वसूली में सरलता होगी। संचालक, पंचायत की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित की गई समिति के विचारणीय मुद्दों में ग्राम पंचायत स्तर पर करों के युक्तियुक्तकरण का यह मुद्दा भी जोड़ा जाना चाहिये।**(कंडिका 7.31)**

22 विभिन्न प्रकार के करों की मांग निर्धारित करने, मांग पंजी बनाने, वसूली की प्रक्रिया तथा कर प्राप्ति का ठीक से हिसाब–किताब रखने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश जारी किया जाना चाहिये। **(कंडिका 7.31)**

23 आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण सहायकों तथा आन्तरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारियों की सेवाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायतों की मांग पंजी बनाने तथा कर एवं कर की वसूली में मदद देना भी उक्त कर्मचारियों का कर्तव्य होना चाहिये।

(कंडिका 7.31)

24 जहां तक हो सके कर वसूली का काम महिलाओं के स्व–सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाये तथा इसके बदले में वसूल की गई राशि का एक भाग उन्हें प्रोत्साहन राशि स्वरूप दिया जाये। यह योजना राजनांदगांव जैसे जिलों में प्रयोग के आधार पर प्रारंभ की जाये जहां स्व–सहायता समूह सक्रिय और सशक्त हैं। **(कंडिका 7.31)**

25 ग्राम पंचायतों द्वारा करों की वसूली को प्रोत्साहित किया जाना चहिये। हमने आन्तरिक प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की है कि यदि कोई ग्राम पंचायत पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे अधिक कर संग्रह करती है तो उसे उसके द्वारा अधिक वसूली की गई राशि के समतुल्य प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाये। यह प्रोत्साहन योजना अधिनिर्णय अवधि (अवार्ड पीरियड)के सभी पांच वर्षो में लागू करना उचित होगा। हमारी यह भी अनुशंसा है कि पंचायत सचिव या पटेल अथवा अधिक राजस्व वसूल करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी पुरस्कृत किया जाये।। **(कंडिका 7.31)**

26 सभी ग्राम पंचायतों में अपने भवनों, तालाबों तथा भूमि आदि परिसम्पत्तियों की सूची रखना तथा प्रत्येक तीन वर्ष में उसे अद्यतन किया जाना अनिवार्य किया जाये। इन परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिये ग्राम पंचायतों को अपने वार्षिक बजट में समुचित प्रावधान करना चाहिए।

(कंडिका 7.31)

पंचायतों को राजस्व का हस्तांतरण

27 राज्य सरकार द्वारा कम से कम उन जिलों में जहां प्रमुख खनिज नहीं पाये जाते हैं। खनिकर्म निरीक्षकों की सेवायें जिला पंचायतों के अधीन किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये जिससे उन जिलों में गौण खनिजों के उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण तथा उन पर रायल्टी की समुचित उगाही सुनिश्चित की जा सके। खनिज संसाधन विभाग अपने मैदानी अमले को ग्राम पंचायतों के साथ बेहतर समन्वय बनाये रखने के लिये स्पष्ट अनुदेश जारी करे। यदि किसी ग्राम पंचायत से पट्टे पर दिये गये खदान से गौण खनिज के अधिक उत्खनन अथवा अवैध उत्खनन की रिपोर्ट मिलती है तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर ऐसे मामलो में तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिये। **(कंडिका 8.4)**

28 रेत उत्खनन पर फिर से रायल्टी लगाने पर विचार किया जाना उचित होगा तथा इस शीर्ष में प्राप्त शुद्ध आगम सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाये। **(कंडिका 8.4)**

29 कृषि उपज मण्डियों द्वारा लगाये गये मण्डी कर का कुछ भाग उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत को दिया जाये। यदि आवश्यक हो तो मण्डी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। **(कंडिका 8.4)**

30 अनुसूचित क्षेत्र में लघु वनोपज से प्राप्त आय का कुछ भाग पेसा (PESA) के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायातों को दिया जाना चाहिये। **(कंडिका 8.4.)**

31 राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिये प्रवर्तित की गई चार योजनायें तथा एक जनपद पंचायत के लिये योजना का क्षेत्र कई मामलों में एक समान है। इससे कोष के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है। अतः उनकी इस समानता को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इनमें से कोई भी योजना गांवों में बुनियादी सेवायें उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से सहायक नहीं हो रही हैं। इन चारों योजनाओं को एक या अधिक से अधिक दो योजनाओं में समाहित कर दिया जाये। एक योजना ग्रामीण अधोसंरचना के लिये और दूसरी गांवों में बुनियादी सेवा प्रदाय के लिये होनी चाहिये। **(कंडिका 8.7)**

32 सरकार को पेय जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा नाली निकासी, सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश व्यवस्था, आन्तरिक सड़कों का अनुरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन जैसी उन बुनियादी/प्राथमिक सेवाओं को चिन्हित करना चाहिए जिनसे ग्रामीण जीवन स्तर अच्छा हो और जिसे ग्राम पंचायतों के द्वारा गांवों में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होना चाहिये। मूलभूत

अनुदान के दिशा निर्देश का पुनरीक्षण किया जाये और उन प्रयोजनों का वरीयता क्रम निर्धारित किया जाये जिनके लिये इस कोष का उपयोग किया जा सकता है। **(कंडिका 8.8)**

33 ग्राम पंचायतों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के लिये वित्तीय प्रावधान राज्य वित्त आयोग के अन्तरण का हिस्सा नहीं होना चाहिये। यह इससे अलग होना चाहिये। राज्य वित्त आयोग के अन्तरण का उपयोग इन योजनाओं के लिये नहीं होना चाहिये।

(कंडिका 8.10)

34 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन ग्राम पंचायतों को देय अनुदान की राशि दो समान किश्तों में जहां तक संभव हो अप्रैल और अक्टूबर माह में दी जानी चाहिये।

(कंडिका 8.11)

35 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के लिये ही उद्दिष्ट केन्द्रीय योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का पूरा लाभ उठाना चाहिये। सौभाग्यवश इस योजना के कोष से लाभ उठाने के लिये हम सभी शर्तों को पूरा करते हैं। **(कंडिका 8.14)**

36. लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नल–जल योजना के लिये दिये जाने वाले अनुदान को जनशक्ति और सामग्रियों की लागत में हो रही वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में प्रति दो वर्षो के अन्तराल में पुनरीक्षित करके बढाया जाये। इस अनुदान की राशि का आबंटन साल में दो बार अर्थात् अप्रैल और अक्टूबर के माह में किया जाना चाहिये। **(कंडिका 8.16)**

37. ग्राम पंचायतों को अपनी सीमित वित्त व्यवस्था में से कोई राशि विभिन्न कार्यक्रमों, समारोहों में खर्च नहीं करना चाहिये। जन समस्या निवारण शिविर, ग्राम सम्पर्क अभियान (ग्राम सुराज) आदि जैसे शासन प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को धनराशि आंबटित करने के विषय में सरकार को विचार करना चाहिये।

(कंडिका 8.16)

38. छोटे उद्योगों का सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन कोष केवल स्थानीय ग्राम पंचायत क्षेत्र के उपयोग के लिये होना चाहिये। बड़े उद्योगों के इस कोष से समीपवर्ती ग्राम पंचायतों को भी हिस्सा दिया जा सकता है। अपने इस कोष की योजना बनाने में ग्राम पंचायतों से सलाह लेना उद्योगों के लिये अनिवार्य होना चाहिए। राज्य सरकार को अपनी सी.एस.आर. नीति में इन सुझावों को शामिल करना चाहिये। **(कंडिका 8.16)**

39. ग्राम पंचायतों को प्रदूषणकारी उद्योगों (जैसे स्टोन क्रशरों) पर अर्थ दण्ड लगाने और इससे प्राप्त धन राशि का व्यय उद्योगों द्वारा की गई क्षति को सुधारने के लिये करने का कानूनी अधिकार दिया जाये। दूसरी बात यह कि भारी भरकम गाड़ियों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कों की जो दुर्दशा होती है, उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों को सौंपी जाये अथवा उसके बदले में ग्राम पंचायतों को अनुरक्षण के लिये आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराई जाये। **(कंडिका 8.16)**

40. प्रमुख खनिजों पर मिलने वाली रायल्टी राजस्व का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्त्रोत है। राज्य सरकार इसकी रायल्टी का कुछ अंश उन ग्राम पंचायतों को देने पर विचार करे जो उत्खनन कार्य से प्रभावित्त हैं। **(कंडिका 8.17)**

41. एजेन्सी कृत्यों के लिये कमीशन की दर में वृद्धि की जाये। प्रथम राज्य वित्त आयोग ने एजेन्सी कमीशन की दर न्यूनतम 3% किये जाने की अनुशंसा की थी। हम इसका समर्थन करते है। यह मामला भारत सरकार के सामने उठाया जाना चाहिये। **(कंडिका 8.20)**

42. ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्त्रोतों से कोष की प्राप्ति होती है और इनमें से कई कोषों के उद्देश्य एक समान होते हैं। अतः इनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिये इन कोषों का अभिमुखीकरण (Convergance) जरूरी है और यह कार्य जिला स्तर पर ही उचित ढंग से हो सकता है। **(कंडिका 8.23)**

पंचायतों का व्यय

43 ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को चिन्हित किये जाने के साथ ही इन सुविधाओं के स्तर और इसकी समय सीमा भी निर्धारित होना चाहिये। जिससे राज्य वित्त आयोग को इस प्रयोजन के लिये वित्तीय व्यवस्था का आंकलन करने में आसानी हो। इस प्रयोजन के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाये तथा मूलभूत सेवाओं के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन सेवाओं पर ही किया जाये। **(कंडिका 9.6 और 10.12)**

लेखा, अंकेक्षण तथा प्रशासनिक मुद्दे

44 ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित रूप से और उचित रूप से लेखे रखे जायें तथा ये लेखे ग्राम सभा को आसानी से उपलब्ध हो। ग्राम पंचायतों की आय और व्यय की स्थिति का समय–समय पर पुनरीक्षण हो तथा इसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाये जिससे वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। **(कंडिका 10.3)**

45 स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग पंचायती राज संस्थाओं विशेषकर ग्राम पंचायतों, जिनकी संख्या बहुत है तथा नगरीय स्थानीय निकायों का अंकेक्षण वर्तमान में स्वीकृत एवं उपलब्ध सीमित अमले से करने में समर्थ नहीं है। अतएव इस संस्था के स्वीकृत विभागीय ढ़ांचे का पुनरीक्षण करके समय बद्ध तरीके से इसे मजबूत किया जाना आवश्यक है। **(कंडिका 10.7)**

46 अंकेक्षण के पुराने बकाया मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाये जिसमें आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारी सांविधिक अंकेक्षकों की सहायता करें। इसके लिये स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवायें ली जा सकती हैं।

(कंडिका 10.7)

47 राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में पंचायतों के अंकेक्षण के लिए अलग से एक अनुभाग बनाये जाने पर विचार किया जाये। **(कंडिका 10.7)**

48 पंचायत अंकेक्षकों के संवर्ग का स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में संविलयन किया जाना उचित होगा। **(कंडिका 10.7)**

49 पंचायत कोष के घपलों अथवा गबन आदि के कारण पंचायत कर्मचारियों या कृत्यकारियों की ओर पंचायतों की जो कानून सम्मत देनदारी बकाया है, उसकी वसूली शीघ्रता से की जानी चाहिये। इस प्रकार वसूली का पूर्ण अधिकार पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी को होना चाहिये ताकि यह अधिक प्रभावी हो। **(कंडिका 10.7)**

50 राज्य सरकार स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को अंकेक्षण कार्य में तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से सक्रियता पूर्वक पहल करें तथा उनसे स्थानीय निकायों का 'टेस्ट आडिट' भी कराया जाना चाहिए। **(कंडिका 10.7)**

51 ग्राम पंचायतों में शीघ्र ही निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता है। एक लेखापाल सह कम्प्यूटर आपरेटर, एक सहायक तथा बड़ी पंचायतों में एक तकनीकी कर्मचारी जो सेवा के अनुरक्षण आदि का देखभाल करे। इसका एक विकल्प यह भी हो सकता है कि कई ग्राम पंचायतों के समूह के लिये एक योग्यता प्राप्त तकनीकी सहायक नियुक्त किया जाये जो संबंधित जनपद पंचायत के अधीन रहे। इस प्रयोजन के लिये राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना का लाभ लिया जा सकता है। **(कंडिका 10.9)**

52 सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर प्रशिक्षण के संसाधनों को फैलाने के बजाय राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और खण्ड स्तरीय संस्थाओं को प्रशिक्षण अधोसंरचना की दृष्टि से मजबूत बनाये जाने पर ध्यान दिया जाये। जिला पंचायतों को केवल तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण सामग्री आदि प्रयोजनों के लिए निचले स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए 'स्त्रोत केन्द्र' होना चाहिए। प्रशिक्षण देने वालों के लिये विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान होना चाहिये जिससे प्रशिक्षण देने के लिये सक्षम अधिकारी उपलब्ध हो सकें।

(कंडिका 10.10)

53 वर्तमान में सभी ग्राम पंचायतों को उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी जनसंख्या व उसकी विशिष्टता एवं संसाधन आधार पर ध्यान दिये बिना सांविधिक एवं अभिकर्ता कार्यो के संपादन के लिए एवं राजस्व उगाही की क्षमता के दृष्टि से एक बराबर माना जाता है। इस समय आदिवासी क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत गैर आदिवासी क्षेत्र की पंचायत के समतुल्य मानी जाती है। ग्राम पंचायतों को कर्मचारी व्यवस्था एवं साथ ही वित्तीय एवं कृत्यों के अंतरण के लिए उनके क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा राजस्व के आधार पर दो तीन वर्गो में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

(कंडिका 10.11)

54 ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के लिए विशेष रूप से निर्धारित सभी अनुदान जिला पंचायतों को मात्र सूचना देते हुए सीधे जनपद पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना चाहिये। जनपद पंचायतें अपने–अपने क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को उनके लिए निर्धारित अनुदान बिना किसी विलंब के वितरित कर सकती है। **(कंडिका 10.13)**

55 प्रत्येक जिले में उक्त जिले की सभी ग्राम पंचायतों के विषय में विस्तृत डाटा बैंक रखा जाये तथा इसे सभी जिला पंचायतों के लिए अनिवार्य कर्तव्य बना दिया जाये। इसके लिये जिला पंचायतों को आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और धनराशि उपलब्ध कराया जाये। जिला पंचायतों को प्रदत्त राशि का उपयोग केवल इसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। **(कंडिका 10.15)**

छत्तीसगढ़ में शहरीकरण

56 नगर पंचायतों का गठन केवल दस हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में होना चाहिये। उसी प्रकार तीस हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका का तथा दो लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले नगर में नगर पालिक निगम का गठन होना चहिये। वर्तमान में राज्य के जिन 76 नगर पंचायतों की जनसंख्या 10 हजार से कम है उन्हें फिर से ग्राम पंचायत के रूप में वर्गीकृत किये जाने का विकल्प दिया जा सकता है। बलरामपुर,

बीजापुर, गरियाबंद, नारायणपुर, और सुकमा ऐसे पांच जिला मुख्यालय है, जहां इस समय नगर पंचायतें है, इनकी जनसंख्या पर विचार किये बिना इन्हें नगर पालिका परिषद के रूप में क्रमोन्नत किया जाये। **(कंडिका 11.11)**

57 दुर्ग और भिलाई नगर पालिक निगमों को मिलाकर एक संयुक्त दुर्ग भिलाई नगर पालिक निगम बनाया जाना अधिक उपयोगी एवं उपयुक्त होगा। **(कंडिका 11.12)**

नगरीय प्रशासन व्यवस्था

58. संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 18 कृत्य नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिये जायें तथा विभिन्न स्तरों के निकायों के लिए अमले की व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जाये। **(कंडिका 12.9)**

59. नगर पालिका/निगम आयुक्तों/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया जाना उचित होगा। **(कंडिका 12.12)**

60. वर्तमान नगरपालिका संवर्गों का पुनरीक्षण किया जाये तथा लेखा, राजस्व, पर्यावरण, इंजीनियरिंग तथा टाऊन प्लानिंग के नये संवर्ग बनाये जाये। मुख्य नगर पालिक अधिकारी के वर्तमान संवर्ग में नगर पंचायतों में नियुक्ति के लिये एक कनिष्ठ संवर्ग बनाया जाये। नगर पंचायतों में अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में प्रचलित तदर्थवाद नगर निकायों के हित में नहीं है। **(कंडिका 12.14)**

61 स्थानीय निकाय की जनसंख्या, वित्त व्यवस्था एवं कार्य क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों के नगरीय निकायों की कर्मचारी व्यवस्था के प्रतिमान निर्धारित करने तथा नगर पालिका संगठन को मजबूत बनाने के लिए समुचित उपायों का सुझाव एक निश्चित समय सीमा में देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाये। भारत सरकार (शहरी विकास मंत्रालय) द्वारा इस संबंध में नवम्बर, 2012 में जारी किये गये मार्गदर्शी नोट की मदद ली जा सकती है। **(कंडिका 12.14)**

62 नगरीय निकाय में कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य शासन को अलग से नगरीय निकाय भर्ती बोर्ड बनाने पर विचार करना चाहिए। इस हेतु आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए।

(कंडिका 12.15)

63 नगर पालिका कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता के लिए सेवा भर्ती नियम बनाया जाना चाहिए और उसका परिपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **(कंडिका 12.16)**

64 परियोजना के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के मामले में नगर निकायों को तकनीकी सहायता देने के लिए संचालक, नगर प्रशासन के कार्यालय में सम्प्रति कार्यरत तकनीकी प्रकोष्ठ को 'नगर पालिक लोक निर्माण विभाग' के रूप में विकसित किया जाना चाहिये तथा वहां समुचित कर्मचारी व्यवस्था होनी चाहिये। **(कंडिका 12.18)**

65 नगर एवं ग्राम निवेश संगठन अधिनियम का पुनरीक्षण किया जाये। नगर एवं ग्रामीण नियोजन संगठन को आवास एवं पर्यावरण विभाग से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को हस्तांतरित किया जाना चाहिये। भवन निर्माण अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये तथा इसके लिये एकल खिड़की पद्धति प्रारम्भ की जाये। **(कंडिका 12.20)**

66 छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व नियामक आयोग का गठन शीघ्र किया जाये।

(कंडिका 12.22)

नगरीय निकायों की वित्त व्यवस्था

67 छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व नियामक आयोग के कर्तव्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाना चाहिये –

(i) छूट प्राप्त सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करके छूट के दावों का मूल्यांकन करें।**(कंडिका 14.15)**

(ii) सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करके अमूल्यांकित एवं अर्ध मूल्यांकित सम्पत्तियों को सम्पत्ति कर की परिधि में लाये। **(कंडिका 14.15)**

(iii) सम्पत्ति कर सहित नगर पालिकाओं के समस्त अभिलेखों का समुचित रूप से रख रखाव सुनिश्चित करने के लिये समुचित व्यवस्था तंत्र विकसित करें। **(कंडिका 14.20)**

(iv) बकाया राशि की समस्याओं का अध्ययन करके उनकी वसूली के लिये कदम उठाये।

(कंडिका 14.21)

(v) सम्पत्ति कर का यथा शीघ्र पुनरीक्षण सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक पॉच वर्षो में उसका पुनरीक्षण होता रहे। **(कंडिका 14.24)**

(vi) नगर पालिका विज्ञापन कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिये दिशा निर्देश जारी करें जिससे नगरीय निकायों को इस स्त्रोत से अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

(कंडिका 14.35)

(vii) दुकानों का किराया निर्धारण, उनके सामयिक पुनरीक्षण तथा संग्रहण के लिये दिशा निर्देश जारी करें, और **(कंडिका 14.41)**

(viii) ऐसे दिशा निर्देश जारी करें जिनसे राज्य के नगरीय निकाय उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों की वसूली कर पाने में सक्षम हो सकें। इसके साथ ही वह समुन्नत एवं प्रभावी सेवा प्रदाय के लिये उपभोक्ता प्रभार के सम्यक् एवं समयबद्ध भुगतान की जरूरत के सम्बन्ध में नगर निकायों और साथ ही नागरिकों को शिक्षित तथा जागरूक करें। **(कंडिका 14.50 और 14.51)**

68 राज्य में 'यूनिट एरिया' पर आधारित सम्पत्ति कर व्यवस्था लागू की जाये।

(कंडिका 14.12)

करों से सम्बन्धित सुधार

69 नगर पालिका अधिनियम एवं नगर पालिक निगम अधिनियम में सम्पत्ति कर से छूट विषयक प्रावधानों का पुनरीक्षण कर उनका युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिये।

(कंडिका 14.14)

70 सम्पत्ति कर की न्यूनतम वार्षिक दर नगर पंचायत क्षेत्र में रु. 50, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में रु. 100 तथा नगर पालिक निगम क्षेत्र में रु. 150 निर्धारित की जाये। इसे प्रभावशील करने के लिये नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन किये जाने चाहिए। **(कंडिका 14.25)**

71 सम्पत्ति कर के मूल्यांकन, आरोपण और संग्रहण को बेहतर बनाने के लिये 'स्व निर्धारण' प्रणाली को समाप्त किया जाये अथवा स्व निर्धारण फार्म का दो माह की अवधि में सत्यापन कराकर डिमांड नोटिस जारी किया जाये। सम्पत्ति कर अर्धवार्षिक आधार पर दो समान किश्तों में वसूल किया जाये। विलंबित भुगतान के लिये 20% की वार्षिक दर से दण्डात्मक ब्याज लिया जाये। सम्पत्ति कर संग्रहण की क्षमता में सुधार के लिये बैंकों, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के द्वारा सम्पत्ति कर भुगतान, इसके संग्रहण के लिये आऊटसोर्सिंग की व्यवस्था, निश्चित समय में भुगतान के लिये प्रोत्साहन तथा कर संग्राहकों को प्रोत्साहन आदि कदम उठाये जाना आवश्यक है। **(कंडिका 14.26)**

72 समेकित कर के तीन घटक करों की इस समय अलग–अलग वसूली की जाती हैं इस पद्धति को बदलकर इन्हें जोडकर सम्पत्ति कर का एक निश्चित प्रतिशत भाग बना दिया जाये।

(कंडिका 14.31)

73 प्रवेश कर का सकल आगम बिना किसी शर्तों के नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जाये। **(कंडिका 14.32)**

74 अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार नगरीय निकाय एक सामान्य प्रयोजन कर के रूप में जल कर लगाये और उसे वसूल करे। **(कंडिका 14.33)**

75 बाजार शुल्क की उगाही पूरी तरह बन्द कर दी जाये। यदि यह सम्भव नहीं हो तो इसके संग्रहण पद्धति में सुधार किया जाये तथा इस पर उचित पर्यवेक्षण हो। इसके लिये बाजार कर लगाये जाने के स्थानों और वसूली करने वालों के बारे में कम्प्यूटरीकृत विवरण रखा जाये।

(कंडिका–14.39)

76 नल कनेक्शन के मामले में आयकर देने वालों और आय कर नहीं देने वालों का अन्तर समाप्त कर दिया जाये तथा सभी लोगों से यह शुल्क समान रूप से लिया जाये।

(कंडिका 14.42)

77 जल शुल्क और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन शुल्क का युक्तियुक्तिकरण किया जाये जिससे कम से कम संचालन लागत की वसूली हो सके। जल शुल्क के भुगतान के मामले में जो छूट और रियायतें दी गई हैं वे सब समाप्त की जाये। नगर निकायों को चाहिये कि वे अपनी सेवा लागत की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें। **(कंडिका 14.43, 14.48, 14.50, 14.51)**

78 स्टाम्प ड्यूटी के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये एवं समय पर हस्तान्तरण की व्यवस्था की जाये। **(कंडिका 14.54)**

79 वित्तीय बाजार से कर्ज लेने के लिये अपनी पात्रता प्रमाणित करने हेतु नगर निकायों को अपनी "साख क्षमता' (Credit rating) का निर्धारण कराना चाहिये। **(कंडिका 14.55)**

लेखा और अंकेक्षण

80 नगरीय निकायों में नियमित लेखापाल नियुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस समय दैनिक भोगी कर्मचारियों सहित जितने व्यक्ति लेखापाल का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव सहित व्यापक प्रशिक्षण दिया जाये। नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों की आन्तरिक क्षमता एक निर्धारित अवधि में विकसित की जानी चाहिये। **(कंडिका 14.66)**

81 नगरीय प्रशासन में वित्तीय जवाब देही लाने के लिये इन निकायों को निर्धारित समय सीमा में अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण करना चाहिये। **(कंडिका 14.67)**

82 राज्य सरकार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और कम्प्यूटरीकरण के जरिये स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को मजबूत बनाये। अंकेक्षण आपत्तियों के शीघ्र निराकरण के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। इसमें विलम्ब होने से अंकेक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है और लोगो का विश्वास प्रभावित्त होता है। **(कंडिका 14.68)**

83 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा निदेशक के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए। **(कंडिका 14.70)**

84 नगरीय निकायों में 'रेसिडेंट ऑडिट' व्यवस्था को पुनः लागू किया जाना चाहिए तथा इन संस्थाओं के लेखा व्यवस्था को अधिक सक्षम व सुदृढ़ बनाना चाहिए। **(कंडिका 14.71)**

जल और स्वच्छता

85 जल प्रदाय नेटवर्क की उपलब्धता के अधीन शहरी क्षेत्र के सभी गरीब परिवारों को अधिनिर्णय अंवधि के दौरान ही भागीरथी नल योजना के अन्तर्गत लाने के लिये इसकी आंबटन राशि में वृद्धि किया जाना उचित होगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अनुश्रवण (मानिटरिंग) की व्यवस्था भी होनी चाहिए। **(कंडिका 14.73)**

86 सुरक्षित तथा महिलाओं के लिये निजता और प्रतिष्ठा के अनुरूप सर्व सुलभ स्वच्छता व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।इसके लिए रु. 200 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की गई है। **(कंडिका 14.75)**

संसाधनों का दोहन

87 नगरीय निकायों को उन वैकल्पिक करों को अवश्य लगाना चाहिये जिनको लगाने का उन्हें अधिकार दिया गया है। इन करों को युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत बनाकर इनके माध्यम से प्रतिवर्ष रु. 25 से 30 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक आय अर्जित की जा सकती है।

(कंडिका 14.78)

88 वृत्ति कर राजस्व प्राप्ति का एक अच्छा स्त्रोत है। राज्य सरकार यह कर अधिरोपित करने के लिये कानून बनाने पर विचार कर सकती है। इस कर का सकल आगम स्थानीय निकायों को दिया जाये। इस स्त्रोत से प्रतिवर्ष रु. 50 करोड़ प्राप्त होने की सम्भावना है। **(कंडिका 14.79)**

89 व्यापार अनुज्ञा शुल्क की दरें पुनरीक्षित की जायें तथा और अधिक व्यापारों को इसके अन्तर्गत लाने के लिये व्यापार सूची का पुनरावलोकन किया जाये। खाली पड़ी जमीन पर

पूंजीगत मूल्य के आधार पर कर लगाया जाये। केबल आपरेटरों पर कर लगाया जाये। इससे प्रतिवर्ष रु. 20 करोड़ की प्राप्ति हो सकती है। **(कंडिका 14.80)**

छ0ग0 नगरीय अधोसंरचना कोष

90 जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार एक "रिवाल्विंग फंड" गठित किया जाये और उसका वर्तमान छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसंरचना कोष में संविलयन कर दिया जाये। इस कोष हेतु 50 करोड़ रूपयों की "सीड कैपिटल" दी जाये। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नगरीय वित्त और अधोसंरचना विकास निगम नामक निगम का गठन किया जा सकता है, जो शहरी निकायों तथा वित्त बाजार के बीच में वित्तीय मध्यवर्ती सूत्र की भूमिका का निर्वाह करने के लिये छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसंरचना कोष के फंड प्रबन्धक/परिसम्पत्ति प्रबन्धक कम्पनी के रूप में काम करे। इस "रिवाल्विंग फंड" की बुनियादी अन्तर्व्यवस्था आदि का निर्णय उक्त निगम द्वारा किया जाये। यह निगम नगरीय निकायों को उक्त कोष से अंशतः ऋण और अंशतः अनुदान के रूप में धन राशि प्रदान करे जैसा कि सम्प्रति अधोसंरचना विकास के लिये किया जाता है। **(कंडिका 14.82 और 14.83)**

91 नगरीय अधोसंरचना की सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिये पूंजीगत व्यय के विभिन्न माडल बनाये जाने की आवश्यकता है। **(कंडिका 14.84)**

कार्य निष्पादन के लिये प्रोत्साहन

92 नगरीय निकायों को इन दो मानदण्डों पर आधारित अतिरिक्त अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाये, प्रथम है सम्पत्ति कर का 90% संग्रहण और दूसरा है लेखा की द्वि प्रविष्टि प्रणाली का लागू किया जाना। **(कंडिका 14.85)**

93 नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा का स्तर समुन्नत करने के लिये उचित प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किया जाना उचित होगा। इस योजना के अधीन उन नगरीय निकायों को विशेष अनुदान की व्यवस्था हो जो घरों तक जल आपूर्ति हेतु नल कनेक्शन, सिवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वर्तमान् स्तर से किसी एक वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि करें। **(कंडिका 14.86)**

94 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नागरिक सेवाओं का भी मूल्यांकन किया जाये तथा उन पर भी सेवा स्तर बेंच मार्क व्यवस्था लागू किया जाये। **(कंडिका 14.87)**

95 नगरीय प्रशासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिये अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार वार्ड और मोहल्ला समितियां गठित की जायें तथा सम्पत्ति कर के संग्रहण में वृद्धि के लिये उनके योगदान को प्रोत्साहन दिया जाये। **(कंडिका 14.88 और 17.12)**

96 पार्षद निधि अधोसंरचना कोष के बजाय नगर पालिका बजट से दिया जाना चाहिए। **(कंडिका 14.89)**

97 नगरीय निकायों को यथा समय धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनुदानों में की गई कटौती का उन्हें विवरण दिया जाये। संचालक, नगरीय प्रशासन को नगरीय निकायों द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई राशि जो उनके पास लम्बी अवधि तक शेष रहती है, उसका नियमित अनुश्रवण (मानीटरिंग) करना चाहिये। **(कंडिका 14.90)**

98 प्रत्येक नगर पंचायत को अधोसंरचना और मूलभूत सेवाओं के लिये एक बार एक करोड़ और पांच जिला मुख्यालयों के नगर पंचायतों को एक बार में एक–एक करोड़ रूपयों का अतिरिक्त अनुदान दिया जाये। यह अनुशंसा हमने अंतरिम प्रतिवेदन में भी की है। **(कंडिका 14.90)**

वित्तीय आवश्यकता और राज्य शासन से अंतरण

99 अधिनिर्णय अवधि के दौरान आवश्यक निवेश तथा उपलब्ध संसाधनों के अन्तर को, राज्य वित्त आयोग के आबंटनों, राज्य सरकार के अतिरिक्त सहायता अनुदानों तथा प्रस्तावित कर सुधार के जरिये नगरीय निकायों द्वारा जुटाई जाने वाली रु. 648 करोड़ की राशि से पूरा किया जाना चाहिये। ये अन्तरण और अनुदान पूंजीगत व्यय के लिये, जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़क आदि क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा क्षमता संवर्धन के लिये हैं। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये पांच वर्षों की अधिनिर्णय अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिये लागत अनुमान सहित क्षेत्रवार योजना तथा क्षमता संवर्धन योजना बनाई जाये। वार्षिक आबंटन तदनुसार किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। **(कंडिका 15.5)**

नगरीय प्रशासन की अच्छी प्रणालियॉं

100 राज्य के सभी नगरीय निकायों में अच्छी व्यवस्थाओं का प्रचार किया जाये तथा प्रस्तावित्त राज्य नगरीय प्रशासन तथा विकास संस्थान (S.I.U.G.D.) को इन अच्छी प्रणालियों एवं

व्यवस्थाओं के अभिलेखन, प्रचार प्रसार तथा नगरीय निकायों द्वारा इनके अंगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहिये। **(कंडिका 16.13)**

नगरीय स्थानीय निकाय : सामान्य सुधार

101 नगरीय निकायों के सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से ई0 गवर्नेंस प्रारम्भ किया जाये तथा सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ई0 गवर्नेंस के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाये।

(कंडिका 17.3)

102 जिला समंक (डाटा) केन्द्रों की स्थापना के लिये समय सीमा निर्धारित हो और उनमें कार्य प्रारम्भ कराया जाये। संयुक्त संचालक के कार्यालय में भी डाटा केन्द्र बनाये जायें। नगर पालिका प्रशासन संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय के केन्द्रों तथा जिला डाटा केन्द्रों को परस्पर जोड़ दिया जाये तो अधिक उपयोगी होगा। **(कंडिका 17.4)**

103 राज्य में राज्य नगरीय प्रशासन तथा विकास संस्थान की स्थापना की जानी चाहिये। राज्य सरकार द्वारा इसके अधोसंरचना विकास तथा कार्यक्रमों के आयोजन के लिये रु. 50 करोड़ की राशि आबंटित किया जाना चाहिये। नगरीय निकायों के वेतन बजट की 2.5 प्रतिशत राशि क्षमता संवर्धन के लिये आबंटित की जाये। कार्यक्षमता में वृद्धि के लिये सभी निर्वाचित और सरकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाये। **(कंडिका 17.7)**

104 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिये। **(कंडिका 17.10)**

105 राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के अनुश्रवण अभिकरणों (मानिटरिंग एजेन्सी)के प्रतिवेदन समुचित कार्यवाही के लिये प्रतिपुष्टि के रूप में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहियैं **(कंडिका 17.11)**

106 नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा वित्त व्यवस्था, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों के उपयोग, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, स्तरांक (बेंच मार्क) के अनुरूप सेवा प्रदाय, शिकायत निवारण आदि के विषय में नगर पालिका के कार्य निष्पादन तथा कार्य में परिलक्षित कमियों पर त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिससे परिषदों को विकास कार्य में सहभागिता तथा आवश्यक निर्णय लेने में सरलता हो

(कंडिका 17.12)

107 रायपुर नगर पालिक निगम तथा दुर्ग–भिलाई के एकीकृत नगरीय निकायों में मेट्रोपलिटन काउन्सिल का गठन किया जाये। (कंडिका 17.15)

108 सभी नगरीय निकाय समय–समय पर कार्य के निष्पादन, वित्त व्यवस्था तथा सेवा प्रदाय सम्बन्धी योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण घोषित करें। ऐसा किये जाने से नागरिकों में जागरूकता बढ़ती है और उनके द्वारा बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है और उनसे सुझाव भी मिल सकते हैं। सभी नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम नियम, 2011 में शामिल सेवाओं की वर्तमान स्थिति भी प्रकाशित करें। (कंडिका 17.17)

109 शहरों में पड़ी खाली जमीन से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाये। यह समिति नगरों में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की रोकथाम के लिये आवश्यक उपायों का सुझाव देने के साथ ही साथ यह सुझाव भी दें कि नगरीय निकाय इस प्रकार की जमीन कैसे प्राप्त करे जिससे उसका उपयोग परिसम्पत्ति निर्माण अथवा विकास कार्य के लिये किया जा सकें। नगरों में उपलब्ध सारी जमीन और परिसम्पत्तियों की सूची बनाया जाना आवश्यक है। नगरीय निकायों को चाहिये कि वे परिवर्तन शुल्क, सुधार शुल्क, प्रभाव शुल्क एवं विकास शुल्क आदि जैसे भूमि आधारित नये वित्तीय स्त्रोतों का पता लगाये, नगर नियोजन के अधीन फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मूल्य निर्धारित करे। नगर के कमजोर तथा सीमान्त वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सार्वजनिक भूमि से प्राप्त आय के लिये पारदर्शी और जवाबदेह योजना तैयार करे। (कंडिका 17.19)

110 राज्य स्तर पर तथा बड़े शहरों में बहुप्रयोजनीय (multi-disciplinary) नगर पालिक परियोजना प्लानिंग और प्रबंधन यूनिट (M.P.P.M.U.) स्थापित की जानी चाहिये।

(कंडिका 17.20)

111 नगरीय निकायों की अधोसंरचना परियोजनाओं तथा उनके परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों में गुणात्मक मानक सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावित्त नगर पालिका लोक निर्माण संभाग के अन्तर्गत गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोग शाला स्थापित की जाये। सभी अधोसंरचना परियोजनाओं में परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों में गुणवत्ता प्रमाणन को सांविधिक दर्जा और महत्व दिया जाये और यदि आवश्यक हो तो इसके लिये कानून में परिवर्तन भी किया जाये। (कंडिका 17.21)

112 नगरों में विकास के लिये बने नियम, भवन उपविधियों तथा अन्य नियमों में इस प्रकार सुधार किया जाये की भवन निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध करने सार्वजनिक निजी भागीदारी

(पी.पी.पी. मॉडल) से अधोसंरचना निर्माण तथा नगरीय निकायों को नगर नियोजन से संबद्ध करने में आसानी हो। **(कंडिका 17.22)**

113 यह आयोग प्रथम राज्य वित्त आयोग के सुझावों को दुहराते हुये अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारत सरकार के ध्यान में यह बात लाई जाये कि भविष्य में नगरीय निकायों को दिया जाने वाला आबंटन अन्य बातों के साथ–साथ अधोसंरचना की स्थिति तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्तरांकों (बेंच मार्क) को प्राप्त करने के लिये अनुमानित लागतों पर आधारित होना चाहिये। दूसरी बात यह कि 14 वें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों के कर प्रयासों को समुचित महत्व देते हुये तेरहवें वित्त आयोग की तरह उन्हें (निकायों को) अतिरिक्त अनुदान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त सूचना तकनीक तथा नगरीय सूचना प्रणाली सहित ई0 गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिये अनुदान दिया जाना चाहिये। **(कंडिका 17.23)**

कोषो के अंतरण के सिद्धान्त

114 आयोग की अनुशंसा है कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाये। हमने अपने अन्तरिम प्रतवेदन में भी यही अनुशंसा की थी।

(कंडिका 18.8)

115 राज्य की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आधार पर उपर्युक्त विभाजनीय पूल (राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8% भाग) में पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.85% और नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 1.15% है। अधिनिर्णय अवधि के लिये राज्य सरकार के शुद्ध कर राजस्व की उक्त रु. 5793.48 करोड़ की राशि में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः रु. 4453.73 करोड़ तथा रु. 1339.75 करोड़ की होगी।

(कंडिका 18.10)

116 उक्त कोष में से पंचायती राज संस्थाओं को धन राशि का जिलेवार आबंटन जनसंख्या (मानदंड भार– 60%) क्षेत्रफल (20%) अनु0जाति/अनु0जन जाति जनसंख्या (10%) तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की संख्या (10%) के आधार पर किया जायेगा।

(कंडिका 18.11)

117 पंचायतों के तीनों स्तरों के बीच जिलेवार वितरण ग्राम पंचायतों को 85%, जनपद पंचायतों को 10% तथा जिला पंचायतों को 05% के हिसाब से होगा। हमारे अंतरिम प्रतिवेदन में जनपद पंचायत का भाग 12% था जिसे घटाकर 10% किया गया है और जिला पंचायत का भाग 3

प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। तदनुसार उपर्युक्त पांच वर्षों की अवधि में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों के हिस्सों में क्रमशः रु. 3785.68 करोड़, रु. 458.68 करोड़ तथा रु. 209.37 करोड़ की राशि आयेगी। **(कंडिका 18.13)**

118 अंतरिम प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण के लिये प्रस्तावित कुल राशि में से दो–दो लाख रूपयों की राशि पेसा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत को दी जाये। अधिनिर्णय अवधि के शेष चार वर्षों में भी उपरोक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा दो–दो लाख रूपयों का सहायता अनुदान दिया जाना चाहिये ताकि ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि बहुत कम नहीं हो। **(कंडिका 18.15)**

119 आयोग की अनुशंसा है कि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण के लिये प्रस्तावित्त सम्पूर्ण राशि उन्हें ग्रामों में प्रकाश व्यवस्था एवं उसके विस्तार करने, नलों के जरिये पेय जल आपूर्ति और उसका विस्तार करने, ग्रामीण स्वच्छता तथा ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्ति के अनुरक्षण के लिये अनाबद्ध (अनटाइड) रूप से प्रदान किया जाये। इसका उपयोग सामाजिक तथा राष्ट्रीय अभियानों के लिये भी किया जा सकता है। **(कंडिका 18.16)**

120 जनपद पंचायतों को आबंटित कोष का उपयोग ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता देने, तथा "पंच" स्तरीय सशक्तिकरण के लिये किया जाये। जनपद पंचायतों की परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण भी इसी कोष से किया जाये। जिला पंचायतें, जिन्हें बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, उनके द्वारा अपने आबंटन का उपयोग (i) जिला पंचायत डाटा बैंक की स्थापना (ii) परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण (iii) पंचायती राज संस्थाओं के लिये केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों से सम्बन्धित पुस्तिकाओं के प्रकाशन और (iv) ग्रामीण विकास के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं से जो छूट गई हैं ऐसी योजना बनाने एवं उनके लिये धनराशि की व्यवस्था करने के लिये किया जाये। **(कंडिका 18.17)**

121 नगरीय निकायों के तीनों स्तरों के मध्य आबंटन निम्नलिखित आधार पर किया जाये, जनसंख्या (मानदंड भार 70%), क्षेत्रफल (10%) गंदी बस्ती जनसंख्या (10%) और राजस्व प्रयास (10%)। जहां तक नगर पंचायतों का सम्बन्ध है, उनके लिये गंदी बस्ती का आधार असंगत है। अतः उनके लिये कुल जनसंख्या को ही 80 प्रतिशत मानदंड भार दिया जाना प्रस्तावित है।

(कंडिका 18.19)

122 नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिये प्रस्तावित कुल राशि का 22% भाग नगर पंचायतों को, राज्य की कुल जनसंख्या में उनके भाग के आधार पर दिया जायेगा।

(कंडिका 18.19)

123 नगरीय स्थानीय निकायों के लिये प्रस्तावित आबंटन अनाबद्ध (अनटाइड) होना चाहिये तथा इसका उपयोग वरीयतः अधोसंरचना और बुनियादी सेवाओं के लिये किया जाना चाहिये। इस धनराशि का उपयोग राज्य सरकार की योजनाओं के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

(कंडिका 18.20)

124 हमने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को अनाबद्ध (अनटाइड) रूप से कोषों के हस्तांतरण का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस धनराशि का उपयोग हमारे द्वारा अनुशंसित प्रयोजनों के लिये ही किया जाये। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश जारी किया जाना चाहिये। **(कंडिका 18.21)**

125 पांच वर्षों की अधिनिर्णय अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को कुल रु. 7335.2 करोड़ और नगरीय स्थानीय निकायों को लगभग रु. 6624.60 करोड़ हस्तांतरित किये जाने का अनुमान है। इसमें अनुशंसित अन्तरण और समनुदेशित (assigned) राजस्व दोनों की राशि शामिल है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शहरी क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति रु. 2231.80 और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति रु. 748.40 की दर से कोष का हस्तांतरण होगा। **(कंडिका 18.23)**

स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान

126 अगले चार वर्षों (2013–2017) के दौरान अनुसूची 5 के क्षेत्रों की 4607 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्रामीण अधोसंरचना के लिये प्रति वर्ष दो–दो लाख रूपयों का सहायता अनुदान दिया जाये, क्योंकि इन गांवों मे इनका नितांत अभाव है। **(कंडिका 19.2)**

127 नगरीय प्रशासन और विकास संस्थान की स्थापना के लिये रू0 50 करोड़ का एक बार सहायता अनुदान दिये जाने की अनुशंसा की गई है। यह संस्थान शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिये होगा। सहायता अनुदान की यह राशि दो वर्षों में दी जा सकती है। **(कंडिका 19.3)**

128 राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को स्वच्छता और साफ सफाई के लिये रु. 200 करोड़ का सहायता अनुदान दिया जाये। नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग शहरों में साफ सफाई और स्वच्छता के लिये समुचित योजना बनाये जिसमें सार्वजनिक शौचालयों, सार्वजनिक

मूत्रालयों तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कमजोर वर्गों के लिये स्वच्छ शौचालयों के लिये कोष व्यवस्था भी शामिल हो। **(कंडिका 19.3)**

राज्य वित्त आयोग : कुछ सामान्य मुद्दे

129 राज्य वित्त आयोग अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके आयोग बहु–सदस्यीय बनाया जाये। राज्य वित्त आयोग में अर्थशास्त्र, लोक वित्त, कानून, लोक प्रशासन स्थानीय प्रशासन तथा विकेन्द्रीकरण जैसी विधाओं के विशेषज्ञ सदस्य लिये जायें। **(कंडिका 20.1)**

130 केन्द्रीय वित्त आयोग की तरह राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये जाने की परम्परा डाली जाये तथा उसकी अनुशंसाओं पर तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जाये। 12 वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की थी। **(कंडिका 20.2)**

131 आगामी अधिनिर्णय अवधि प्रारंभ होने के पहले ही समय रहते राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाये। राज्य वित्त आयोग का गठन केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन के साथ ताल मेल बैठाकर किया जाये जिससे उसका प्रतिवेदन केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा विचार के लिये उपलब्ध हो सके। 12 वें केन्द्रीय वित्त आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की थी। **(कंडिका 20.3)**

132 बजट दस्तावेज के साथ प्रति वर्ष प्रकाशित किये जाने वाले वित्त सचिव के स्मृतिपत्र में राज्य वित्त आयोग के अन्तरण के अन्तर्गत हस्तांतरित राशि का विवरण अलग से दर्शाया जाना चाहिये। **(कंडिका 20.4)**

133 वित्त विभाग में एक स्थायी राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ का गठन किया जाये जो आयोग की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करें, उसकी प्रगति पर नजर रखे। साथ ही क्रियान्वयन में परिलक्षित समस्यायें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। शहरी प्रशासन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी इन्हीं कार्यो के लिये ऐसा ही प्रकोष्ठ बनाया जाये जिसका वित्त विभाग के प्रकोष्ठ से सीधा सम्बन्ध रहे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित जो समिति 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत दिये गये कोष के उपयोग पर नजर रखती है, वह राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिये प्रस्तावित राशि के उपयोग पर भी नजर रखे।

(कंडिका 18.21 एवं 20.5)